

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

17 दिसंबर, 2024

मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार-आयुध निर्माणियाँ

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2024 की प्रतिवेदन संख्या 10
संसद में प्रस्तुत

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय-1 में वर्ष 2020-21 के लिए आयुध निर्माणियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण है। अध्याय-2 में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ्स शामिल हैं एवं अध्याय-3 में पांच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ्स शामिल हैं।

प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

अध्याय-1: आयुध निर्माणियों का कार्य निष्पादन

41 आयुध निर्माणियाँ हैं जो शस्त्रों, गोलाबारूदों, बख्तरबंद एवं पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों (इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल) तथा कपड़ों के मदों का उत्पादन करती हैं। अक्टूबर 2021 में उनके निगमीकरण से पूर्व, आयुध निर्माणियाँ, आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) के अधीन कार्य करती थीं, जो कि रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था। निगमीकरण के पश्चात, इन निर्माणियों को सात रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डी.पी.एस.यू.) में परिवर्तित कर दिया गया है।

ओ .बी.एफ.ने 2020-21 में ₹11,748 करोड़ एवं ₹429 करोड़ का बजट आवंटन क्रमशः अपने राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए प्राप्त किया। इन अनुदानों के विरुद्ध इसने ₹11,410 करोड़ एवं ₹377 करोड़ क्रमशः राजस्व एवं पूंजीगत खातों के अंतर्गत व्यय किया।

2020-विशिष्ट थलसेना मदों के उत्पादन निष्पादन की 70 द्वारा .बी.एफ.के दौरान ओ 21 ,संवीक्षा के दौरान 30 मदों के उत्पादन में 100 से 12 प्रतिशत की रेंज में कमियां देखी गईं।

2020-21 के दौरान, आयुध निर्माणियों का उत्पादन लागत (सी.ओ.पी.) ₹16,504 करोड़ था। विगत वर्ष की तुलना में सी.ओ.पी. में चार प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सामग्री, श्रम

एवं प्रत्यक्ष व्यय सी.ओ.पी. का क्रमशः 45 प्रतिशत, 11 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत था। उपरिव्यय उत्पादन लागत का 42 प्रतिशत था। उपरिव्यय के प्रमुख तत्व पर्यवेक्षण प्रभार और अप्रत्यक्ष श्रम लागत थे जो 2020-21 में एक साथ कुल उपरिव्यय लागत का 61 प्रतिशत थे।

2020-21 में, ओ.एफ.बी. ने अपने विभिन्न मांगकर्ताओं को ₹9,389 करोड़ (विगत वर्ष से 6 प्रतिशत की वृद्धि) मूल्य की सामग्रियों की आपूर्ति की थी। 2019-20 की तुलना में, 2020-21 में रक्षा क्षेत्र को विक्रय में 13 प्रतिशत (₹907 करोड़) की वृद्धि थी। हालांकि, 2020-21 में गैर रक्षा क्षेत्र को विक्रय में 20 प्रतिशत (₹339 करोड़) की गिरावट थी। भारतीय थल सेना आयुध निर्माणियों के उत्पादों के लिए प्रमुख मांगकर्ता है, जिसका भाग कुल निर्गमों का लगभग 75 प्रतिशत है। थल सेना के अलावा, अन्य मांगकर्ताओं में नौसेना, वायु सेना, गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.), राज्य पुलिस इत्यादि हैं।

ओ.एफ.बी. के पास ₹12,705 करोड़ का भंडार था जो 2020-21 में उत्पादन लागत का 77 प्रतिशत था। 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध भंडार (एस.आई.एच.) ₹6,172 करोड़ (भंडार का 49 प्रतिशत) था जिसमें गैर सक्रिय भंडार का ₹1,237 करोड़ यथा गैर क्रियाशील भंडार, मंद क्रियाशील भंडार और अधिशेष/रद्दी/बेकार/अप्रचलित भंडार शामिल था। उपभोग दिवसों की संख्या के अनुसार एस.आई.एच. का धारण 2016-17 में 214 दिवस से 2020-21 में 344 दिवस तक निरंतर बढ़ा। आगे, डब्लू.आई.पी. (जारी कार्य: शॉप फ्लोर में पड़े हुए अपूर्ण मद) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल भंडार का लगभग 32-42 प्रतिशत और सी.ओ.पी. का लगभग 22-40 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31/03/2021 तक 25,911 बकाया अधिपत्रों (वारंट्स) में से 3,425 अधिपत्र (वारंट) एक से दस वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे जिनके विरुद्ध ₹1,902 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इन अधिपत्रों के अंतर्गत कार्य छह माह के सामान्य समय के विरुद्ध एक से दस वर्षों की अवधि तक अधिपत्रों के समापन की कमी के कारण अपूर्ण थे।

(अध्याय-1)

अध्याय-II: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ्स

आयुध निर्माणियों में प्रणोदकों का उत्पादन

प्रणोदक किसी भी गोलाबारूद का अनिवार्य भाग होता है जो इसकी सीमा निर्धारित करता है। चार¹ प्रणोदक विनिर्माण निर्माणियाँ विभिन्न प्रकार के प्रणोदकों का विनिर्माण करती है एवं उन्हें छह फिलिंग फैक्ट्रीज यथा अंतिम उत्पाद निर्माणियों को संपूर्ण गोला-बारूद/रॉकेट बनाने के लिए निर्गम करती हैं। फिलिंग फैक्ट्रीज तैयार गोलाबारूद/रॉकेट्स सशस्त्र बलों को निर्गम करती है।

प्रणोदक निर्माणियों से उनके लक्ष्य को प्रत्येक वर्ष जनवरी तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, प्रणोदक निर्माणियां लक्ष्यों की पूर्ति करने में असमर्थ थी जिसने गोलाबारूद फिलिंग फैक्ट्रीज के उत्पादन सारणी (सिड्यूल) को प्रभावित किया। लेखापरीक्षा ने फिलिंग फैक्ट्रीज को जनवरी और मार्च तक प्रत्येक वर्ष प्रणोदकों के निर्गम में 67 प्रतिशत और 43 प्रतिशत प्रकरणों में विलंब देखा। सह-निर्माणियों से मुख्यतः ₹276 करोड़ मूल्य के प्रणोदकों की कम आपूर्ति के कारण ₹1,053 करोड़ मूल्य के तीन गोलाबारूद और एक रॉकेट सशस्त्र बलों को निर्गम नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹27.82 करोड़ मूल्य के प्रणोदक निर्माणियों में अप्रयुक्त (टेल एंड लॉट) के रूप में पड़े थे तथा निपटान के लिए प्रतीक्षित थे। 2018-21 के दौरान प्रणोदक में गुणवत्ता समस्या के कारण ₹77 करोड़ मूल्य का एक गोलाबारूद एवं ₹21.61 करोड़ मूल्य के पांच प्रणोदक अस्वीकृत हुए थे। तीन वर्षों तक ब्लेंडिंग परिचालन के लिए ब्लेंडिंग मशीन की गैर-उपलब्धता के कारण, आ.नि. इटारसी में ₹11.24 करोड़ मूल्य के एक गोलाबारूद के लिए 99.75 एम.टी. प्रणोदक आगे उपयोग के बिना किसी संभावना के रखा हुआ है।

थलसेना ने समान अवधि में चार गोलाबारूदों की 214 दुर्घटनाएं रिपोर्ट की। नमूना रासायनिक विश्लेषण दर्शाता है कि गोलाबारूदों में दोषों के लिए प्रणोदक के आद्रता अवयव में असामान्यता एक प्रमुख कारण था।

(पैराग्राफ 2.1)

आयुध निर्माणियों में लार्ज कैलिबर वेपन्स की उत्पादन क्षमता का संवर्धन

रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए हथियारों की परिष्कृत आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयुध निर्माणियों में लार्ज कैलिबर वेपन्स के संवर्धन के लिए एक परियोजना स्वीकृत (मार्च 2012) किया। मार्च 2015 की समापन तिथि के साथ परियोजना की लागत

¹ आयुध निर्माणी इटारसी (ओ.एफ.आई.), आयुध निर्माणी भंडारा (ओ.एफ.बीए) कोर्डईट फैक्ट्री अरुंकाडू (सी.एफ.ए.) एवं आयुध निर्माणी नालंदा (ओ.एफ.एन.)

₹376.55 करोड़ थी। सिविल कार्यों के कार्यान्वयन और संयंत्र एवं मशीनरी, विशेषतः इलेक्ट्रो स्लैग रिफाइनिंग (ई.एस.आर.) संयंत्र, फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर(एफ.जी.के.) में इससे जुड़े पांच मशीनों सहित तथा धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापोर (एम.एस.एफ.) में पांच महत्वपूर्ण मशीनों की खरीद/प्राप्ति/चालू (कमीशन) करने में अत्यधिक समय लिया गया। परिणामतः, संवर्धन परियोजना ₹292.32 करोड़ (₹253.13 करोड़ पी. एंड एम. + ₹39.19 करोड़ सिविल कार्य) के व्यय करने के बावजूद पूर्ण नहीं किया जा सका (जनवरी 2023)।

एफ.जी.के. में ई.एस.आर. संयंत्र के चालू न किये जाने एवं एम.एस.एफ. में ई.एस.आर. स्लैग के उपेष्टतम (सब ऑप्टिमल) उत्पादन क्षमता का घटकों की सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला (जैसे फोर्जिंग्स, बैरेल्स एवं ब्रीच मैकेनिज्म एवं आयुध) पर व्यापक प्रभाव था। 2015-22 के दौरान बैरेल्स एवं ब्रीच मैकेनिज्म के उत्पादन में कमी परियोजना में परिकल्पित उत्पादन क्षमता के 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में थी। एम.एस.एफ., एफ.जी.के. और आयुध निर्माणी कानपुर द्वारा गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर को पी.वाई.टी. फोर्जिंग्स, बैरल फोर्जिंग्स, एवं आयुध की कम आपूर्ति के कारण आयुध निर्माणियाँ मांगपत्र/अनुबंध में निर्धारित 'एक्स58' गन्स और 'एक्स60' गन्स के छोटे लक्ष्यों की आपूर्ति करने में भी असमर्थ थीं। भारी वाहन निर्माणी अवाडी को 'बी' एवं 'ई' टैंक्स के लिए गन्स की आपूर्ति में गिरावट थल सेना को 'बी' एवं 'ई' टैंक्स के निर्गम में कमी के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी था।

एम.ओ.डी. एवं सम्बंधित डी.पी.एस.यु. को परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक संशोधित समय-सीमा तय करने और एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.2)

अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ्स

आयुध निर्माणी दमदम के प्रदाय अवधि के भीतर 'ए1' एवं 'ए2' विकसित एवं आपूर्ति करने की विफलता के कारण ₹8.76 करोड़ मूल्य की अवरुद्ध इनवेंट्री

आयुध निर्माणी दमदम (ओ.एफ.डी.सी.) ने वायुसेना मुख्यालय (ए.एच.क्यू.) द्वारा अपेक्षित 'बी' के लिए 'ए1' और 'सी' के लिए 'ए2' के विकास में अत्यधिक विलंब किया था, जिसके कारण उनके मांगपत्र में निर्धारित प्रदाय अवधि के भीतर ए.एच.क्यू. को 'ए1', 'ए2' की आपूर्ति करने में विफल रहा। ए.एच.क्यू. ने बकाया मांगपत्रों का पूर्व समापन कर दिया जिसके परिणामस्वरूप दो आयुध निर्माणियाँ यथा ओ.एफ.डी.सी. और आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर में ₹8.76 करोड़ मूल्य के इन्वेंटरी, जारी कार्य, निर्मित/अर्ध-निर्मित 'एन' आदि अवरुद्ध हुए। स्टोर्स की उपयोगिता की संभावनाएं धूमिल हैं क्योंकि ए.एच.क्यू. ने 'ए1', 'ए2' को रणनीतिक रेखाओं (स्ट्रेटजिक लाइन्स) से हटा दिया है और ओ.एफ.डी.सी. से उत्पादन लाइन और आगे 'ए1', 'ए2' के विनिर्माण को भंग करने का अनुरोध किया है।

(पैराग्राफ 3.1)

'पी' का अनियमित उत्पादन जिसके कारण ₹5.40 करोड़ अवरुद्ध हुए

अनुमानित आवश्यकता की प्रत्याशा में, आयुध निर्माणी इटारसी ने अगस्त-अक्टूबर 2018 के दौरान ₹5.40 करोड़ मूल्य के 65 'पी' किसी ठोस आज्ञा (ऑर्डर) के इन्तजार किये बिना अविवेकपूर्ण ढंग से निर्मित किया जिसके कारण निधि अवरुद्ध हुई। चार वर्ष पूर्व विनिर्मित इन 'पी' की लाभप्रद उपयोगिता की संभावना दूरस्थ है क्योंकि भारतीय वायु सेना ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 'क्यू' में उपयोग किये गए समस्त संघटक 'क्यू' उत्पादन के एक वर्ष के भीतर उत्पादित किये गए होने चाहिए।

(पैराग्राफ 3.2)

'एक्स' के ह्रास के कारण आयुध निर्माणी बडमल में ₹14.45 करोड़ की हानि

आयुध निर्माणी बडमल (ओ.एफ.बी.एल.) 'वाई' के विनिर्माण के लिए आयुध निर्माणी कानपुर द्वारा आपूर्ति किये गए 98,574 'एक्स' का उपयोग, इन 'एक्स' की ह्रासित स्थिति के कारण नहीं कर सका। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड/निर्माणियाँ द्वारा इसकी अनुपयोज्यता के लिए सटीक कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ओ.एफ.बी.एल. में ₹11.08 करोड़ की हानि हुई क्योंकि निर्माणी वार्षिक लेखे में भंडार को "उपलब्ध भंडार" से पहले ही कम कर चुका था। इसके अलावा, गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर से प्राप्त ₹3.37 करोड़ मूल्य के अनुपयोगी 'एक्स' के 29,961 नग बिना उनकी उपयोगिता की किसी संभावना के जून 2023 तक ओ.एफ.बी.एल. के पास पड़े हुए थे।

अनुचित प्रशुल्क (टैरिफ) अनुप्रयोग के कारण विद्युत प्रभार के रूप में ₹6.करोड़ का 81 अधिक भुगतान

कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (के.ओ.सी.एस.ई.) ने अक्टूबर में आयुध 2014 उपस्कर निर्माणी कानपुर के चार आवासीय कनेक्शंस के लिए विद्युत प्रशुल्क (.सी.एफ.ई.ओ) सारणी (टैरिफ सिड्यूल) को एल-वी.एम.1 से एच.वी.-1 में एकतरफा संशोधित किया। परिणामस्वरूप को .ओ.सी.एस.ई.ने के .सी.एफ.ई.ओ ,₹6.करोड़ का अधिक भुगतान 81 किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चातसे 2020 द्वारा फरवरी .ओ.सी.एस.ई.के , के दौरान प्रशुल्क सारणी 2020 अक्टूबर(टैरिफ सिड्यूल) को पुनः पूर्ववत बहाल किया गया। आज की तिथि में, अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जाना अब भी शेष है। अगर ओ.सी.एफ.ई. ने के.ओ.सी.एस.ई. द्वारा प्रशुल्क सारणी (टैरिफ सिड्यूल) के एकतरफा संशोधन का तुरंत ही विरोध किया होता, ₹6. करोड़ 81के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था।

निजी एजेंसियों को किया गया ₹1.करोड़ का अधिक भुगतान 23

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.), महानिदेशक पुनर्वास (डी.जी.आर.) नई दिल्ली के परामर्श के अनुसार, आयुध वस्त्र निर्माणी अवाडी (ओ.सी.एफ.) ने रक्षा सुरक्षा बल एवं दरबानों की पदस्थ क्षमता में कमी के विरुद्ध प्रति दिन क्रमशः 50 एवं 22 निजी सुरक्षा कर्मी (पी.एस.जी.) की तैनाती के लिए आपूर्ति आदेश (एस.ओ.) दिया। अनुबंधित संख्या के विरुद्ध ठेकेदार ने औसतन प्रति दिन क्रमशः मात्र 42 एवं 19 पी.एस.जी. की तैनाती की। तथापि, ओ.सी.एफ. ने 72 पी.एस.जी. की पूर्ण तैनाती के लिए भुगतान किया, परिणामस्वरूप मई 2016 से अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान ठेकेदार को ₹1.23 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।